पटना में दिनांक–05 जनवरी, 2016 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1.	बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में, एन०टी०पी० सी० के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सीडी के रूप में 1200.00 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वर्ष 2015–16 के दिसम्बर, 2015 से मार्च, 2016 की अवधि के लिए 300.000 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) रूपये प्रतिमाह की दर से चार माह के लिए कुल 1200.00 करोड़ (बारह सौ करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

2.	श्री इन्द्रदेव पासवान, तत्कालीन अपर निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से जब्त करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

3.	निदेशक, अभियोजन एवं उप निदेशक, अभियोजन के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम 5 एवं नियम 6 में संशोधन एवं हस्तक में "महानिदेशक, अभियोजन" को "निदेशक, अभियोजन" से प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

4.	श्री योधन चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर को अनुमोदित वृहत दंड अन्तर्गत सेवानिवृत्ति तक कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर रखने एवं कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

5. "बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग नियमावली–2015" का गठन। — 5. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

6. "बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (यांत्रिक) संवर्ग नियमावली–2015" का गठन। — 6. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

7. C.W.J.C No.-3335/2015, चन्देश्वर साह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक–08.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि 28.01.2004 के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना में कार्यरत रहे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया वेतन अन्तर की राशि तथा स्तरोन्नयन की तिथि के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना से सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम एवं छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन/उपादान अन्तर राशि के भुगतानार्थ कुल रू० 7,18,13,000.00 (सात करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त स्वीकृत राशि पटना विश्वविद्यालय, पटना को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

विधि विभाग

8. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए उच्च न्यायालय पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश कुमार दत्ता को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

वित्त विभाग

9. बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को विधान मंडल के पटल पर दिनांक–08.12.2015 को उपस्थापित की गयी है, पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

12. राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा की वैद्यता की तिथि में वृद्धि के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

13. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप पदों के सृजन के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

14. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, कोटि क्रमांक–352/2011 को संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर में प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव। — 14. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

15. राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 15. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16. शैक्षिक सत्र 2015–16 में सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पोषाहार मद एवं अध्ययनरत छात्रों के लिए स्थापना मद में कुल संयुक्त राशि ₹ 6,10,36,275/–(छह करोड़ दस लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

17. दिनांक–24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण जिला के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक–05.01.2016 से दिनांक–04.07.2016 तक अवधि विस्तार के संबंध में।

17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत घटक योजना Soil Health Management 2015–16 तहत बिहार राज्य में छः चलन्त मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (MSTL) की स्थापना हेतु केन्द्रांश मद–302.40 लाख रूपये, राज्यांश 100.80 लाख रूपये, कुल 403.20 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन करने की स्वीकृति।

18. स्वीकृत।

कृषि विभाग

19. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन 2015–16 अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तहत राज्यांश–44 लाख रूपये की लागत पर बिहार राज्य में 09 चलन्त मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (MSTL) की स्थापना की स्वीकृति।

19. स्वीकृत।

कृषि विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूमि संरक्षण कार्यक्रम हेतु स्वीकृत राज्य योजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने एवं सम्पादित कार्यों के लम्बित भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 तक इस योजना का अवधि विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी एवं व्यय हेतु 1091.87 (दस करोड़ एकानवे लाख सतासी हजार) लाख रू० की स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

कृषि विभाग

21. रबी 2015–16 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं अनुदानित दर पर गेहूँ प्रमाणित बीज विजरण योजना मद में 3319.84 लाख रू० के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. राज्यादेश सं०–524(6)/रा० दिनांक–08.04.13 (परिशिष्ट–I) एवं राज्यादेश सं०–396 (6)/रा० दिनांक–21.04.15 (परिशिष्ट–II) को रद्द करते हुए पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–मैनपुरा, दियारा, थाना सं०–140 के असर्वेक्षित भूमि रकबा कुल–6.50 एकड़ (6.12 एकड़ वास हेतु एवं 0.38 एकड़ रास्ता एवं अन्य उपयोग हेतु) (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–III) प्रति परिवार (सूची संलग्न परिशिष्ट–IV) 3.00 डिसमिल भूमि कुल–204 परिवारों को राजस्व विभागीय परिपत्र सं०–8/खा० म०प०–109 / 81–38/रा० दिनांक–08.01.82 (परिशिष्ट–V) की कंडिका 3 (1) एवं 3 (6) को शिथिल करते हुए 1.00 (एक) रूपया प्रति परिवार टोकन सलामी के भुगतान पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज पर बन्दोबस्त करने एवं साथ ही उक्त लीज पर बन्दोबस्त भूमि के लीज डीड पर स्टॉम्प ड्यूटी एवं निबन्धन शुल्क माफ करने के संबंध में।

22. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

23. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं०–21755/2014 में दिनांक–12.02.2015 को पारित न्यायादेश द्वारा बर्खास्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर भोजपुर, डॉ० राम कुमार हिमांशु को बरी करने के फलस्वरूप सेवा में उन्हें पुनर्स्थापित करने, योगदान की तिथि से वेतनादि का भुगतान करने एवं बर्खास्तगी की तिथि से योगदान की तिथि की अवधि की गणना सिर्फ सेवान्त लाभ के लिए किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।

23. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. सब जज I –सह–ए०सी०जे०एम०–सह–ए०एस०जे०/ सब जज–सह–सी०जे०एम०–सह–ए०एस०जे०/तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के संबंध में।

24. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

25. राज्य के पटना चिकित्सा महाविद्यालय के निश्चेतना विभाग में कार्यरत डा० विजय कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक को दिनांक–20.01.1996 से सह प्राध्यापक एवं दिनांक–01.06.2005 से प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव।

25. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

26. जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अनुबंध पर नियोजित सेवानिवृत्त 225 माध्यमिक शिक्षकों एवं 2 उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के नियत वेतन एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु ₹ 9,04,31,050/–(नौ करोड़ चार लाख इकतीस हजार पचास) रूपये मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

26. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

27. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में शत–प्रतिशत प्रायोजित योजना 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि कुल रूपये 36,34,000/–(छत्तीस लाख चौतीस हजार) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

27. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

28. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में "समग्र गव्य विकास योजना" के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 2 एवं 5 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना पर कुल ₹ 61.67757 करोड़ (रूपये इकसठ करोड़ सरसठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ) मात्र अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति।

28. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

29. संशोधित खाद्य प्रसंस्करण योजना 2014–15 का दिनांक–31.03.2016 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति का प्रस्ताव।

29. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

30. राज्य सरकार द्वारा नहरों, नदियों, राज्यपथों एवं पथों आदि के किनारे की भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के तहत "सुरक्षित वन" घोषित किये गये भूमि से संबंधित अधिसूचनाओं के निरस्तीकरण के संबंध में।

30. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

31. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्य–103–ग्राम विकास–राज्य योजना –उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना) के अन्तर्गत बिहार राज्य के भागलपुर जिला के लोकमानपुर पंचायत को विजयघाट पुल से जोड़ने हेतु पहुँच पथ के साथ पुल निर्माण जिसकी लम्बाई 202.84 मी० एवं राशि 24.3846 करोड़ रू० है, के संबंध में।

31. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

32. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण हेतु न्यायिक जाँच आयोग के गठन Commission of Inquiry Act, 1952 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराए जाने तथा आयोग के सदस्य को नियुक्त व सचिव एवं अन्य कर्मियों को अनुबन्ध पर नियुक्त किये जाने के संबंध में। — 32. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

33. पंचम राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार के संबंध में। — 33. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

34. राज्य में दों नवगठित व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर के दों पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 34. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

35. 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य में लंबित वादो के 31 मार्च, 2016 तक निष्पादन हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 74 त्वरित न्यायालयों के लिए अस्थायी वर्ग–III कोटि के कुल 296 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 35. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में प्रोटोकॉल सहायक के 2 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 36. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

37. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य में न्याय व्यवस्था के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के लिये विभिन्न योजनाओं के निमित्त कुल 662.00 (छह सौ बासठ करोड़) रूपये कर्णांकित राशि के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त कार्य योजना के आलोक में 669.43 (छह सौ उनहत्तर करोड़ तैतालीस लाख) रूपये योजना की स्वीकृति। — 37. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

38. श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2804, दिनांक– 29.03.2010 के कंडिका–5 (क) के अनुसार अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में संविदा पर नियुक्त को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के कंडिका–3 (2) (क) (V) के आलोक में एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन अवधि विस्तार के संबंध में।

38. स्वीकृत।